न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 39/2020

GCMS NO. : 2020/00086

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थी ::–
1. प्रभूराम पुत्र गोकलराम 2. हरीराम पुत्र गोकलराम जाति माली निवासी बलाड़ा तहसील जैतारण।		1. मांगीलाल पुत्र गोकलराम 2. गोकलराम पुत्र सावलराम जाति माली निवासीगण बलाड़ा तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 06/08/2020

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकिर हुसैन, श्री मेवराज, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 31/08/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 एक ही पिता की संतान है तथा सगे भाई है तथा बतौर हिन्दू संयुक्त परिवार के रूप में जीवन निर्वाह करते चले आ रहे है तथा हिन्दू धर्म को मानने से उक्त समुदाय पर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम लागू होता है तथा पिता गोकलराम पुत्र सांवलराम आज भी बतौर संयुक्त परिवार के मुखिया है। वंश वृक्षावली अनुसार वर्णित सभी वारिसान गोकलराम के विधिक उतराधिकारी एवं जायन्दा संतान है जो अपनी समझ से ही अपने पिता के साथ बतौर काबिज काश्त रहे एवं संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है तथा जिन्दा वारिसान है जो सम्पूर्ण भरण पोषण का ध्यान रखते चले आ रहे है। गैरसायलान संख्या 1 सायलान का बड़ा भाई है तथा संयुक्त परिवार मे सामिल रहते चले आ रहे थे तथा परिवार मे जेयष्ठ पुत्र मांगीलाल होने से सायलान के पिता ने अपनी मेहनत मजदूरी से ही आमदनी जुटाकर बचत करके गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था में ही गोकलराम ने ही अपने स्वयं की राशि से सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वाके आराजी खसरा संख्या 784 रकबा 8–15 बीघा को विशनसिंह से खरीद करके अपने जेयष्ठ पुत्र गैरसायलान् संख्या 1 [illegible] रजिस्ट्री करवाई तथा खरीद का सम्पूर्ण पैसा गोकलराम ने [illegible] एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मालिक [illegible] काबिज काश्त [illegible] आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था मे गैरसायलान संख्या 2 द्वारा खरीद की गई एवं नाम से वर्णित खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड दर्ज है तथा गैरसायलान संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा गैरसायलान संख्या 1 परिवार का मुख्या कर्ताधर्ता ज्येष्ठ पुत्र होने से उसके नाम खरीद की गई जो सामलाती संयुक्त परिवार की आराजी है जो सायलान के पिता गोकलराम ने अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से उक्त सम्पति अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम खरीद की थी लेकिन गैरसायलान् एवं सायलान् अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित खसरान कृषि भूमि सायलान के पिता की आमदनी से खरीद की गई होने से गोकलराम के सभी विधिक वारिसानो का उक्त सम्पति मे बराबर–बराबर का हक अधिकार बनता है तथा सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक ही पिता गोकलराम की संतान है जो प्रारम्भ से ही संयुक्त परिवार रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड गैरसायलान् संख्या 1 के नाम का है इस हेतू गैरसायलान संख्या एक दोनो के आपस मे भाईयो का प्रेमभाव बना रहे एवं स्नेह एवं शांतिपूर्वक काश्त करते रहे भविष्य मे इस बाबत् कोई विवाद या लडाई झगडा न हो इसलिए गैरसायलान संख्या 1 ने गैरसायलान संख्या 1 को उक्त सम्पति वापस अपने नाम करने या सायलान के हक हिस्से तक की सम्पति को उसके नाम करने का कथन किये एवं समझाईस की जिस पर गैरसायलान संख्या एक टालमटोल करने लगा एवं कोई स्पष्ट जबाब नही देने के कारण सायलान अपने हक अधिकारो के तहत अपने पिता के जीवनकाल मे उनकी स्वयं की आमदनी गैरसायलान संख्या 2 द्वारा अर्जित आमदनी से वर्णित सम्पति को क्रय करके अपने ज्येष्ठ नाबालिग पुत्र के नाम करवाई जिसमे सायलान का भी हक अधिकार होने से एवं अपने हक अधिकारो की सीमा तक अपने विधिक एवं पैतृक पुश्तैनी हक अधिकारो के तहत अपने पिता द्वारा संयुक्त सामलाती संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप मे खरीद की गई सम्पति मे अपने पिता की आराजी मे एवं अपने हक अधिकारो के तहत अपने नाम की घोषणा करवाने एवं अपने हक अधिकार के तहत खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। वर्णित आराजी खसरान् भूमि पर सायलान एवं गैरसायलान सभी बतौर सामलाती संयुक्त परिवार की सम्पति के रूपमे बिना किसी रोकटोक के अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन दिनांक 05/07/2020 को गैरसायलान संख्या 2 ने गैरसायलान संख्या 1 को समझाईस की तथा गैरसायलान से सायलान ने समझाईस कर उक्त सम्पति मे सायलान के हक हिस्से को उसके नाम रजिस्ट्री हकतर्क आदि करवाने के कथन किये तो गैरसायलान् संख्या 1 टालमटोल कर रहा है एवं ऐलानिया कथन किया उक्त सम्पति मेरे नाम है मै इसे किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर दुंगा [illegible] गैरसायलान संख्या 1 अपने इस प्रकार के नापाक इरादो में [illegible] हो [illegible] है [illegible] सायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही [illegible] सकेगी तथा मौके पर विवाद होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी। ऐसी विषम परिस्थितियो मे प्रतिवादीगण संख्या 1 को उक्त सम्पत्ति अपने नाम राजस्व रेकर्ड होने का गलत एवं नाजायज फायदा उठाने एवं रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण से रूकवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज में स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 784 रकबा 8–15 बीघा कृषि भूमि मे सायलान् के हक अधिकार निहित होने से पूर्व से ही काबिज हक हिस्से एवं अधिकारो के तहत काबिज होकर काश्त करे या कास्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। उक्त खसरान् भूमि को वाद के निर्णय तक रहन बेचान बक्सीश अन्य हस्तान्तरण रद्धोबदल नवनिर्माण नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के निर्णय तक उक्त सम्पति को रहन बेचान अन्य हस्तान्तरण से रोका जावे एवं राजस्व रेकर्ड तथा वर्तमान मौके की स्थिति को वादपत्र के निर्णय तक यथावत् रखी जाने का आदेश सायलान के पक्ष मे व गैरसायलान के खिलाफ अताः फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. 1 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। जिसे गैरसायल संख्या 1 नामंजुर करता है। सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक ही पिता की संतान होने का कथन सही है लेकिन बतौर हिन्दू संयुक्त परिवार के रूप में जीवन निर्वाह करते चले आ रहे होने का कथन गलत व अस्वीकार है बलकि सायलान एवं गैरसायलान सभी अलग अलग परिवार सहित निवास करते आ रहे है। गैरसायलान संख्या 1 को गैरसायलान संख्या 2 द्वारा करीब 45 वर्ष पूर्व ही अलग कर दिया था उस समय से ही गैरसायलान संख्या 1 अलग निवास करता आ रहा है तो संयुक्त परिवार का मुख्या गैरसायलान संख्या 2 होने का सवाल ही पैदा नही होता है केवल वाद करने की गरज से झुठे तथ्य तायद किये है। जब उक्त भूमि गैरसायलान संख्या 1 के द्वारा परिवार से अलग निवास करते हुए गैरसायलान संख्या 1 के द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से उक्त भूमि को मांगुसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह विश्नसिंह पुत्र श्री धोकलराम जी जाति राजपुत निवासी बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 से दिनांक 15.03.1980 को खरीद किया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जैतारण [illegible] विलेख पंजीयन किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति की प्रति जवाब [illegible] है जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। [illegible] अनुसार सभी वारिसान गोकलराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

के उत्तराधिकारी पिता के साथ बतौर काबिज काश्त रहने का एवं संयुक्त परिवार के सदस्य होने व सम्पूर्ण पोषण का का ध्यान रखने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 2 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजूर करता है। यह सही है कि गैरसायालान संख्या 1 सायलान का भाई है। भाई होने के साथ साथ संयुक्त परिवार में शामिल होने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र मांगीलाल होने से वादीगण के पिता ने अपनी मेहनत मजदुरी से आमदनी जुटाकर बचत करके गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था में गोकलराम ने अपने स्वयं की राशि से सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वाके आराजी खसरा नं. 784 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा भूमि को विशनसिंह से खरीदकर अपने ज्येष्ठ पुत्र गैरसायलान संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री करवाने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है बलकि गैरसायलान संख्या 1 ने अपने स्वयं के द्वारा स्वअर्जित आय से अपने स्वयं द्वारा मेहनत मजदुरी की आय से उक्त भूमि को आने नाम नाम रजिस्ट्री करवाई थी जो रजिस्ट्री से भी साबित है जिसमें कोई नाबालिग कुदरती वली आदि दर्ज नही है। केवल गैरसायलान संख्या 2 को सिखाकर व मिलीभगत कर उक्त भूमि को षड़यन्त्र से हड़पने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। केवल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की नियत से झुठा कथन तैयार कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या 3 पूर्णतया गलत है जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था में गैरसायलान संख्या 2 द्वारा खरीद की गई होने का कथन गलत व अस्वीकार है जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। जब गैरसायल संख्या 1 को आज से 45 वर्ष पूर्व ही अलग कर दिया था तो संयुक्त परिवार होने का सवाल ही पैदा नही होता है। गैरसायलान संख्या 1 परिवार का मुख्या कर्ताधर्ता ज्येष्ठ पुत्र होने से खरीद करने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। सामलाती संयुक्त परिवार की आराजी होने का कथन गलत है। सायलान के पिता गोकलराम ने अपनी मेहनत मजदुरी के पैसे से उक्त सम्पति अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम खरीद करने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। उक्त भूमि गैरसायलान संख्या 1 के द्वारा अपनी स्वयं की मजदुरी आदि की आय से खरीद की थी उसे समय से आज तक गैरसायलान संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तो उक्त भूमि पर सायलान एवं गैरसायल संख्या 2 का कब्जा काश्त होने का सवाल ही पैदा नही होता है। सायलान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते आ रहे होने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायलान संख्या 1 नामंजुर करता है। प्रार्थना का पद संख्या 4 गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायल संख्या 1 नामंजुर करता है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सायलान के पिता की आमदनी से खरीद की गई होने का थन गलत व अस्वीकार है। जब गोकलराम जी के द्वारा खरीदी ही नही तो उसमें गोकलराम जी के विधिक वारिसानो का उक्त सम्पति में बराबर बराबर हक अधिकार बनने का सवाल ही पैदा नही हौंत है। सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 शुरू से ही अलग रहे है तो संयुक्त परिवार होने का सवाल ही पैदा नही होता है। जब उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के द्वारा अपने स्वयं के द्वारा मेहनत मजदुरी के द्वारा कमाई गई आय से उक्त भूमि को खरीद की गई है तो सायलान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का सवाल ही पैदा नही होता है। जब उक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के स्वअर्जित आय से परिवार से अलग रहते हुए खरीद की गई है तो गैरसायल संख्या 1 को उक्त सम्पाति वापस अपने नाम करने सायलान के हक हिस्से तक की सम्पाति को उसके नाम करने का कथन करने एवं समझाईश करने व टालमटोल करने का सवाल ही पैदा नही होता है। बादीगण अपने हक अधिकारो के तहत अपने पिता द्वारा संयुक्त सामलाती संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में खरीद की गई होने का कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायल संख्या 1 नामंजुर करता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। जिसे गैरसायल संख्या 1 नामंजुर करता है। वर्णित भूमि आराजी सामलाती है ही नही तो उक्त सम्पति पर सायलान एवं गैरसायलान संख्या 2 का बिना किसी रोक टोक के अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे होने का सवाल ही पैदा नही होता है। उक्त भूमि गैरसायलान संख्या 1 के स्वअर्जित आय अपनी मेहनत, मजदुरी से कमाई गई आय से खरीदी गई है जिसमें न तो सायलान हिस्सा है न ही गैरसायल संख्या 2 का है। जब उक्त भूमि में हिस्सा है ही नही तो दिनांक 05.07.20 को समझाईश व हकतर्क रजिस्ट्री आदि से टालमटोल एवं ऐलानिया धमकीया देने का सवाल ही पैदा नही होता है। उक्त भूमि सायलान एवं गैरसालान संख्या 2 का हक हिस्सा है ही नही तो सायलान को असीम क्षति होने व क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होने कथन पूर्णतया गलत है। उक्त कथनो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 नामंजुर करता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावे।

गैरसायलान संख्या 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पद संख्या एक का जबाब इस प्रकार है कि पद मे वर्णित तथ्य कि सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 एक ही पिता की संतान है तथा सगे भाई है तथा बतौर हिन्दू संयुक्त परिवार के रूप में जीवन [illegible] करते चले आ रहे है तथा हिन्दू धर्म को मानने से उक्त समुदाय [illegible] अधिनियम लागू होता है तथा पिता गोकलराम पुत्र सांवल[illegible] संयुक्त परिवार के मुखिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपरोक्त वंश वृक्षावली अनुसार वर्णित सभी वारिसान गोकलराम के विधिक उतराधिकारी एवं जायन्दा संतान है जो अपनी समझ से ही अपने पिता के साथ बतौर काबिज कास्त रहे एवं संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है तथा जिन्दा वारिसान है जो सम्पूर्ण भरण पोषण का ध्यान रखते चले आ रहे है। जिसका जबाब इस प्रकार प्रस्तुत है कि वर्णित पद मे समस्त तथ्य सही होने से स्वीकार है। पद संख्या दो का जबाब इस प्रकार है कि पद मे वर्णित तथ्य कि गैरसायलान् संख्या 1 सायलान् का बड़ा भाई है तथा संयुक्त परिवार मे सामिल रहते चले आ रहे थे तथा परिवार मे जेयष्ठ पुत्र मांगीलाल होने से सायलान् के पिता ने अपनी मेहनत मजदूरी से ही आमदनी जुटाकर बचत करके गैरसायलान् संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था मे ही गोकलराम ने ही अपने स्वयं की राशि से सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे वाके आराजी खसरा संख्या 784 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा को विशनसिंह से खरीद करके अपने जेयष्ठ पुत्र गैरसायलान् संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री करवाई तथा खरीद का सम्पूर्ण पैसा गोकलराम न ही दिये एवं काबिज कास्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा माफिक संयुक्त परिवार के काबिज काश्त चले आ रहे है जो सही है। जिसको गैरसायलान संख्या 2 ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वयं की जीविकोपार्जन एवं आय से आमदनी जुटाकर खरीदकर गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था मे करवाया था। जिसकी राशि मुझ गैरसायलान संख्या 2 स्वयं ने अदा की थी। ज्येष्ट पुत्र होने के नाते रजिस्ट्री मुझ गैरसायलान संख्या 2 ने गैरसायलान संख्या 1 के नाम करवाई थी उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमे सभी वारिसानो का एवं मुझ गैरसायलान संख्या 2 सहित पुत्रो का बराबर-बराबर हक हिस्सा व अधिकार बनता है इस प्रकार का जबाब पद संख्या दो का पेश कर पद संख्या 2 मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते है। पद संख्या तीन का जबाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य कि गैरसायलान संख्या 1 के नाम उसकी नाबालिग अवस्था मे गैरसायलान संख्या 2 द्वारा खरीद की गई एवं नाम से वर्णित खसरान भूमि का राजस्व रेकर्ड दर्ज है तथा गैरसायलान् संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा गैरसायलान् संख्या 1 परिवार का मुख्या कर्ताधर्ता ज्येष्ठ पुत्र होने से उसके नाम खरीद की गई जो सामलाती संयुक्त परिवार की आराजी है जो सायलान् के पिता गोकलराम ने अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से उक्त सम्पति अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम खरीद की थी लेकिन गैरसायलान् एवं सायलान् अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे है। इसके साथ ही माफिक हक हिस्से अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति होने से एवं मुझ गैरसायलान संख्या 2 द्वारा अपनी आमदनी से खरीद होने से सभी का बराबर-बराबर का हक हिस्सा व अधिकार होने से उसी अनुसार काबिज काश्त है। पद मे वर्णित [illegible] को इस आशय के साथ स्वीकार फरमाकर जबाब पेश है। पद संख्या [illegible] का जबाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य कि वर्णित खसरान [illegible] सायलान् के पिता आमदनी से खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की गई होने से गोकलराम के सभी विधिक वारिसानो का उक्त सम्पति मे बराबर-बराबर का हक अधिकार बनता है तथा सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या एक ही पिता गोकलराम की संतान है जो प्रारम्भ से ही संयुक्त परिवार रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड गैरसायलान् संख्या 1 के नाम का है इस हेतू गैरसायलान् संख्या एक दोनो के आपस मे भाईयो का प्रेमभाव बना रहे एवं स्नेह एवं शांतिपूर्वक काश्त करते रहे भविष्य में इस बाबत् कोई विवाद या लडाई झगडा न हो इसलिए गैरसायलान् संख्या 1 ने गैरसायलान् संख्या 1 को उक्त सम्पति वापस अपने नाम करने या सायलान् के हक हिस्से तक की सम्पति को उसके नाम करने का कथन किये एवं समझाईस की जिस पर गैरसायलान् संख्या एक टालमटोल करने लगा एवं कोई स्पष्ट जबाब नही देने के कारण सायलान् अपने हक अधिकारो के तहत अपने पिता के जीवनकाल मे उनकी स्वयं की आमदनी गैरसायलान् संख्या 2 द्वारा अर्जित आमदनी से वर्णित सम्पति को क्रय करके अपने ज्येष्ठ नाबालिग पुत्र के नाम करवाई जिसमे सायलान् का भी हक अधिकार होने से एवं अपने हक अधिकारो की सीमा तक अपने विधिक एवं पैतृक पुश्तैनी हक अधिकारो के तहत अपने पिता द्वारा संयुक्त सामलाती संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप मे खरीद की गई सम्पति मे अपने पिता की आराजी मे एवं अपने हक अधिकारो के तहत अपने नाम की घोषणा करवाने एवं अपने हक अधिकार के तहत खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधा व वाद घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। इस पद मे वर्णित तथ्य मुझ गैरसायलान् संख्या 2 की जानकारी में होने से एवं सही होने से स्वीकार है। पद संख्या पांच का जबाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य कि वर्णित आराजी खसरान् भूमि पर सायलान् एवं गैरसायलान् सभी बतौर सामलाती संयुक्त परिवार की सम्पति के रूप में बिना किसी रोकटोक के अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन दिनांक 05/07/2020 को गैरसायलान् संख्या 2 ने गैरसायलान् संख्या 1 को समझाई की तथा गैरसायलान् से सायलान ने समझाईस कर उक्त सम्पति मे सायलान् के हकहिस्से को उसके नाम रजिस्ट्री हकतर्क आदि करवाने के कथन किये तो गैरसायलान् संख्या 1 टालमटोल कर रहा है एवं ऐलानिया कथन किया उक्त सम्पति मेरे नाम है मै इसे किसी अजनबी केता को बेचान कर दुगां अगर गैरसायलान् संख्या 1 अपने इस प्रकार के नापाक इरादो मे सफल हो जाते है तो सायलान् को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा मौके पर विवाद होगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। ऐसी विषम परिस्थितियो मे प्रतिवदीगण संख्या 1 को उक्त सम्पति अपने नाम राजस्व रेकर्ड होने का गलत एवं नाजायज फायदा उठाने एवं रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण से रूकवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष पेश किया है। इस पद मे वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पेश कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मय दस्तावेज के साथ स्वीकार फरमाया जावे इस आशय का जबाब श्रीमान् के समक्ष पेश है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2017(1) RRT Page No 491

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम बलाड़ा खसरा नम्बर 784 रकबा 8–15 बीघा एवं पंजीकृत बेचाननामा, नामांतकरण पंजीका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 जरीये बेचान बतौर खातेदार दर्ज हुआ। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी आय से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम क्रय की गई जिसमें प्रार्थी का हक–अधिकार निहित है जिसमें प्रार्थी अपने नाम की घोषणा अपने हक–अधिकार के तहत करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के उक्त कथन का अपने जवाब प्रार्थना पत्र में समर्थन किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त आराजी का अपनी स्व–अर्जित आय से दिनांक 15/03/1980 को खरीद करने का कथन किया है। प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 वक्त खरीद करने का कथन किया है। प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 वक्त खरीद नाबालिग था एवं प्रार्थी के पिता/अप्रार्थी संख्या 2 अपनी आय से ज्येष्ठ पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जमीन खरीद की जिसमें प्रार्थी का भी हक–अधिकार निहित है। मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम तो विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का अपने भाई/अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि पर कोई हक–अधिकार निहित नहीं होता। द्वितीय प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, विधिक प्रावधान या न्यायिक नजीर प्रस्तुत नहीं की है जिससे की यह साबित होता हो कि पिता की आय से भाई के नाम कथित खरीदशुदा भूमि पर दूसरे भाई का किस प्रकार हक अधिकार निहित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika
Server
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम बलाडा के अनुसार खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना–नत्र मय शपथ पत्र में यह कथन किया कि अप्रार्थी वक्त खरीद से आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है साथ ही अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है जिसका प्रार्थी द्वारा खण्डन भी नहीं किया है। अतः यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे निश्चित ही अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विव्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:13 IST
Reason: SelfAttested